को दो और वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। श्री चड्ढा को निदेशक के रूप में 3 वर्षों के लिए उस सूची में से नियुक्त किया गया था जो ए० आई० बी० ई० ए० द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ए० आई० बी० ई० ए० को मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्र) द्वारा बैंक का प्रतिनिधि यूनियन निर्धारित किया गया था। सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडलों का शीघ्र ही पुनर्गठन किया जाएगा और इस पुनर्गठन तक, उक्त योजना के अनुसार, सभी निदेशक अपने पद पर बने रहेंगे।

दिल्ली-खजुराहो विमान उड़ान की झांसी पर रुकने की व्यवस्था करने का प्रस्ताव

6331. **श्री लक्ष्मी नारायण नायक :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिदिन दिल्ली से खजुराहो जाने वाला विमान उड़ान केवल आगरा पर रुकती है और वहां से यात्री लेती है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार खजुराहो की यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा और उनके समय की बचत को ध्यान में रखते हुए उक्त उड़ान के लिए आगरा-खजुराहो मार्ग पर झांसी में, जो एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नगर, रेलवे जंकशन, डिवीजनल हैड-क्वार्टर और बबीना छावनी के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण सैनिक केन्द्र है, रुकने की व्यवस्था करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) दिल्ली से खजुराहो की दैनिक बोइंग 737 सेवा (आई० सी०-407/408) दिल्ली/आगरा/खजुराहो/वाराणसी तथा वापस मार्ग पर परिचालन करती है और इन सभी स्थानों से यात्रियों को लेती है।

(ख) जी, नहीं।

गुजरात से बाहर भेजे जाने वाले माल पर कर लगाया जाना

6332. **श्री धर्म सिंह भाई पटेल :** क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने गुजरात से बाहर भेजे जाने वाले माल की खेपों पर कर लगाने के लिए कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे, यदि हां, तो कब और उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ; और

(ग) व्यापारिक प्रयोजन हेतु गुजरात से बाहर भेजे जाने वाले माल का विवरण क्या है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग). गुजरात सरकार ने 1968 में एक राज्य से दूसरे राज्य में खेप-आधार पर भेजे जाने वाले माल पर खेप-कर लगाने का सुझाव दिया था। गुजरात सरकार का सम्बन्ध मूंगफली के तेल खली, उर्वरकों तथा बिनौलों जैसी वस्तुओं से, था। इस सुझाव पर राज्य सरकारों के साथ परामर्श कर के विचार किया गया और बिक्री कर (संशोधन) अधिनियम, 1972 में इस दृष्टि से कुछ संशोधन किए गए थे कि जो व्यापारी एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजे जाने वाले माल के सम्बन्ध में अपनी तरफ़ केन्द्रीय बिक्री कर के प्रति कोई देनदारी नहीं होने का दावा करते हैं उन पर इस दावे को प्रमाणित करने की जिम्मेदारी डाली जाये। बाद में वर्ष 1973 में यह मामला जांच के लिए विधि आयोग के पास भेजा गया था। आयोग की 61वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, भारत के संविधान में संशोधन करने के लिए एक विधेयक का मसौदा जिसमें अन्य बातों के साथ साथ एक